संख्या-85/2019/1503/22-2-2019-17(822)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 अगस्त, 2019***

विषय:- जिला कारागार, सुल्तानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अयोध्या सिंह पुत्र श्री शिवदयाल सिंह, निवासी जनपद-अमेठी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-551/प्रोबे0-5-द0या0(बैठक-20.11.2018) दिनांक 08.01. 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अयोध्या सिंह पुत्र श्री शिवदयाल सिंह, जो-परभानपुर, थाना-मुसाफिर खाना जिला-अमेठी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी रंजिश को लेकर दिनांक 18.03.1980 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलके मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-237/1981 धारा-304 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश द्धितीय सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 26.02.1982 द्वारा 10 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.08.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.01.2018 तक 02 वर्ष 04 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 08 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक ने बंदी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध किये जाने, पुन: अपराध कारित करने से इन्कार नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध रखना नितान्त आवश्यक होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु सामान्य नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु,काटी गयी सजा, कारित आपराधकी प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अयोध्या सिंह (बंदी संख्या-105/15) पुत्र श्री शिवदयाल सिंह, निवासी जनपद-अमेठी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-85/2019/1503(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सुल्तानपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in